[श्री रामेश्वर ठाकुर]

उनके बारे में परिसमापक तथा बी. आई. डी. आर. के समक्ष दावे प्रस्तुत किए जाते हैं ।

(6) जिन मामलों में करदाताओं को किस्तों की अनुमति दी गई है, उनमें किस्तों की समय पर अदायगी करने के कार्य को सुनिश्चित करने के निमित्त कड़ी नजर रखी जाती है ।

(7) जिन मामलों में वसूली की कार्यवाहियों पर अदालतों द्वारा रोक लगा दी गई है, उन मामलों में स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने के बारे में कार्यवाही की जाती है ।

(8) जिन मामलों में कर बकाया अशोध्य हो जाती है उन मामलों में उसे बट्टे खाते में डालने के निमित्त कार्यवाही की जाती है ।

राज्य वित्त निगम द्वारा ऋणों को मंजूरी

2226. **श्री अजीत जोगी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के सावधि ऋण इत्यादि के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य वित्त निगम स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त निगम औद्योगिक इकाइयों को सहायता प्रदान करने में समान मानदण्ड अपनाते हैं या वे विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न मानदण्ड अपनाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कुछ राज्यों में राज्य वित्त निगमों द्वारा इंजीनियरी और अन्य तकनीकी पृष्ठभूमि वाले नए उद्यमियों के ऋण मंजूर करते समय उनके साथ भेद भावपूर्ण समझौते किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां । राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, राज्य वित्तीय निगमों को सावधि ऋणों आदि के माध्यम से लघु और मझौले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है ।

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के अंतर्गत स्थापित, राज्य वित्तीय निगम स्वायत्त राज्य स्तरीय निगम होने के कारण, उनके निदेशक बोर्ड, राज्य सरकारों द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परामर्श से और उनकी सलाह प्राप्त करने के बाद जारी किए गए नीति संबंधी निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, ऋण संबंधी नीतियां निर्धारित कर सकते हैं । इन परिस्थितियों में विभिन्न राज्यों में राज्य वित्तीय निगमों की ऋण संबंधी नीतियां अलग-अलग हो सकती हैं, जो राज्य की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था निगम की संसाधन स्थिति आदि पर निर्भर करती है ।

परन्तु, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, जो मध्यम क्षेत्र के उद्योगों को उनके ऋणों के संबंध में राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है, इन संस्थाओं को मार्गनिदेश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम प्रवर्तक अंशदान और अधिकतम ऋण इक्विटी अनुपात निर्धारित किया गया है। जहां तक ब्याज दर का संबंध है, राज्य वित्तीय निगमों को ब्याज कर सहित 17.5% से 20.0% के बीच ब्याज दर लेने की छूट दी गयी है ।

सीमा-शुल्क में परिवर्तन

2227. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश में वातानुकूलित कारें आयात करने के लिए सीमा-शुल्क की दर में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह कमी कितने प्रतिशत की गई है और अब कितने प्रतिशत सीमा-शुल्क का भुगतान करना होगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसी प्रकार विलासिता की बहुत-सी वस्तुओं के आयात पर सीमा-शुल्क में कमी की गई है;

(घ) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान कौन-कौन सी वस्तुओं के आयात पर सीमा-शुल्क में कमी की गई है और कितने प्रतिशत की कमी की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने इसी अवधि के दौरान स्क्रैप के आयात पर सीमा-शुल्क में वृद्धि कर दी है; और

(च) यदि हां, तो इसी अवधि के दौरान कौन-कौन सी अन्य वस्तुओं के आयात पर सीमा-शुल्क में वृद्धि की गई है तथा इन दो प्रकार के आदेशों के परिणामस्वरूप कितनी हानि और लाभ होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारत की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से पर्यटन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित राज्य पर्यटन निगमों, वर्गीकृत होटलों, टूअर आपरेटरों, पर्यटक परिवहन संचालकों तथा यात्रा एजेंसियों द्वारा वातानुकूलित कारों और वातानुकूलित कोचों के आयात के लिए रियायती आयात शुल्क की व्यवस्था की गयी है जिसे संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अदा किया जाना होता है।

(ख) वातानुकूलित कारों और वातानुकूलित कोचों पर देय रियायती आयात शुल्क मूल्यानुसार 50 प्रतिशत है । वातानुकूलित कारों के संबंध में आयात शुल्क में कटौती की सीमा 175.5 प्रतिशत है और वातानुकूलित कोचों के मामले में 108.3 प्रतिशत है ।

(ग) और (घ) गत 6 महीनों के दौरान गोल्फ के उपस्करों को छोड़कर विलासिता की अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क कम नहीं किया गया है । पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, पर्यटन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित विनिर्दिष्ट आयातकों द्वारा आयातित गोल्फ उपस्करों पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत तक घटा दिया गया है जबकि सामान्य दर 110 प्रतिशत है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) गत 6 महीनों के दौरान, आयात शुल्क में वृद्धि केवल बल्क औषधि (रिफैम्पिसीन) पर की गयी है और इसे शून्य से 80 प्रतिशत तक किया गया है ताकि मूल स्तर से रिफैम्पिसीन का विनिर्माण देश में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । इस वृद्धि के कारण आनुमानिक राजस्व लाभ प्रति वर्ष लगभग 6 करोड़ रुपए का होगा ।

गोल्फ उपस्करों पर शुल्क कम करने के कारण शुल्क हानि का आकलन नहीं किया जा सकता है । वातानुकूलित कारों और वातानुकूलित कोचों के मामले में शुल्क रियायत देने से कुल मिलाकर क्रमशः 64 करोड़ रुपए और 164 करोड़ रुपए का आयात शुल्क छोड़ना पड़ेगा । तथापि, राजस्व हानि आनुमानिक है क्योंकि रियायती शुल्क न लगाने से सामान्यतः वातानुकूलित कारों और वातानुकूलित कोचों का बड़े पैमाने पर आयात नहीं होगा ।

बैंकों द्वारा ऋण को बट्टे खाते में डालने के संबंध में मानदण्ड और दिशानिर्देश

2228. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रतिवर्ष भारी धनराशि बट्टे-खाते में डाली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों में जो अधिकारी करते समय उन अधिकारियों को कतिपय पदनाम क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में स्वीकृति प्रदान करते समय उन अधिकारियों को कतिपय दिशानिर्देशों और मानदण्डों का पालन करना होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन दिशानिर्देशों और मानदण्डों की अवहेलना करके भी धनराशि को बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है; और

(च) यदि हां, तो किन-किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है ?